न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 63/2021

वादीयाः—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल, जाति देवासी, निवासी देवासियों का बास, चंडावल नगर, तहसील सोजत, जिला—पाली, (राजस्थान)		1 खींवाराम पुत्र लालूराम, जाति देवासी, निवासी चंडावल नगर, तहसील सोजत, जिला पाली। 2 सुवादेवी पत्नी खींवाराम, जाति देवासी, निवासी चंडावल नगर, तहसील सोजत, जिला पाली। 3 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92 (ए) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री सुरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री गोविन्द सिंह, श्री भगवती प्रसाद **अधिवक्तागण प्रतिवादीगण उपस्थित।**

—: निर्णय :—

दिनांक — 28.10.2021

अधिवक्ता मय वादीया ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चंडावल पटवार हल्का चंडावल, भू.अ.नि. चंडावल, तहसील सोजत जिला पाली में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की संयुक्त मालिकाना, हक, हकूक कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि पुराना खाता संख्या 40, नया खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 1386 रकबा 0.0100 हैक्टर, किस्म गै. मु. बेरा, खसरा संख्या 1387 रकबा 0.0500 है., किस्म गै.मु. सारण, खसरा संख्या 1388 रकबा 7.0600 है., किस्म जा. सो., कुल खसरा 03, कुल रकबा 7.1200 है., लगान 39.1200 रूपये स्थित है। जिस कृषि भूमि मे वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की सामलाती हक, हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिस कृषि भूमि में वादीया का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आता है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हक, हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का आता है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण में मौके पर मौखिक रूप से आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया जिसका नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न है। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित हिस्सा वादीया के हक हिस्से व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिस पर पूर्व में किये गये मौखिक बंटवाडा के अनुसार काबिज काश्त चली आ रही है। इसी प्रकार हरे रंग से दर्शित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है तथा मार्क ए, बी, सी, डी जो कि वादीया प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दर्शित है, जो करीब 14 फुट चौडा है। वादीया ने दिनांक 10.06.2021 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का पूर्व में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

पर किये गये बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में आपसी सहमति से बंटवाडा कर खातेदारी अलग अलग दर्ज करावे। जिस पर प्रतिवादीगण ने वादीया को ऐलानिया कहा कि पूर्व में किये गये मौखिक बंटवाडे से हम सहमत नही है तथा उसके अनुसार हम बंटवाडा कतई नही करेंगे और उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवडा करवाये अन्यत्र किसी भी व्यक्ति को छोटे छोटे भूखण्डो में विभाजित कर बेचान, हस्तान्तरण कर देंगे। जबकि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि आज भी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। इसलिए प्रत्येक इंच भू भाग पर प्रत्येक खातेदार का हक व अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रतिवादीगण को उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवाडा करवाये छोटे छोटे भूखण्डो के रूप में विभाजित कर बेचान, हस्तान्तरण करने का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए वादीया उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का पूर्व में किये गये मौखिक बंटवडा व वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस द्वारा बंटवाडा करवाये जाने की अधिकारिणी है। वादीया ने प्रतिवादीगण से दिनांक 10.06.2021 को संपर्क कर निवेदन किया कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का पूर्व में किये गये मौखिक बंटवाडा व माफिक कब्जा काश्त अनुसार आपसी सहमति से बंटवाडा करने हेतु कहा। जिस पर प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से व मौके पर काबिज काश्त अनुसार बंटवाडा करने से साफ इंकार कर दिया और वादीया को ऐलानिया धमकी दी कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का छोटे छोटे भूखण्डो में विभाजित कर नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भू भाग का बेचान, हस्तान्तरण कर देंगे और तुम्हें उपरोक्त हक हिस्से से बेदखल कर देंगे। जबकि प्रतिवादीगण को वादीया के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी करने व वादीया को बेदखल करने का प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। यह वाद बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से तथा भूमिधारक तहसीलदार, सोजत को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 10.06.2021 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को मौके पर काबिज स्थिति अनुसार बंटवाडा का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अनुसार बंटवाडा करने से वादीया को इंकार कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वाराा वादीया को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करने व कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने की ऐलानिया देने से वाद कारण बमुकाम ग्राम चंडावल नगर तहसील सोजत में उत्पन्न होने के कारण यह वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम चंडावल नगर तहसील सोजत में स्थित होने के कारण वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीया ने वाद पत्र मय शपथ–पत्र एवं. दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने एवं वादस्थ उक्त भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किये जाने अर्थात् डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर किये जाने की कि उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक, हिस्से एवं मौके पर काबिज स्थिति एवं नजरी नक्शे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस के तहत करवाया जाकर वादीया के 1/2 हक हिस्से का संबंधित राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा के जरिए कि प्रतिवादीगण के वादीया के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी रहन बेचान अन्य हस्तान्तरण एवं किसी परिवर्तन करने से रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। दिनांक 20.09.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गजेन्द्र दवे, श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित एवं भगवती प्रसाद चौहान अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया जो सा0मि0 है।

दिनांक 20.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 शिविर चंडावल में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति से प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाड़ा वादस्थ भूमि सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्ताक्षर अंकित किये। लिहाजा प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस अमर सादिर की गई कि सरहद मौजा चंडावल पटवार हल्का चंडावल, भू.अ.नि. चंडावल, तहसील सोजत में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की सामलाती हक, हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की संयुक्त मालिकाना, हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि पुराना खाता संख्या 40, नया खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 1386 रकबा 0.0100 हैक्टर, किस्म गै. मु. बेरा, खसरा संख्या 1387 रकबा 0.0500 है., किस्म गै.मु. सारण, खसरा संख्या 1388 रकबा 7.0600 है., किस्म जा. सो., कुल खसरा 03, कुल रकबा 7.1200 है.। जिस कृषि भूमि मे पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/केम्प/256 दिनांक 25.10.2021 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादीया एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। ा। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/केम्प/256 दिनांक 25.10.2021 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान को सुना गया। वस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 से 21 की पालना की जाकर प्रस्तुत किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में पृथक – पृथक खसरा नम्बर, रकबा व लगान का निर्धारण किया गया है। पहुच मार्ग हेतु पृथक से खसरा व बेरा एवं सडा को विधि अनुरूप संयुक्त रखा जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। लिहाजा वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 20.10.2021 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा चंडावल पटवार हल्का चंडावल, भू.अ.नि. चंडावल, तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की पुराना खाता संख्या 40, नया खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 1386 रकबा 0.0100 हैक्टर, किस्म गै. मु. बेरा, खसरा संख्या 1387 रकबा 0.0500 है., किस्म गै.मु. सारण, खसरा संख्या 1388 रकबा 7.0600 है., किस्म जा. सो., कुल खसरा 03, कुल रकबा 7.1200 है., की कृषि भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

क्र.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1388	3.5104	जा. सो. बंजड	
2	खींवाराम पुत्र लालूराम 1/2, सुवादेवी पत्नी खींवाराम 1/2, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1388/1	3.5104	जा. सो. बंजड	
3	इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल 1/2, जाति देवासी, खींवाराम पुत्र लालूराम 1/4, सुवादेवी पत्नी खींवाराम 1/4, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1388/2	0.0392	रास्ता प्रयोजनार्थ	
4	इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल 1/2, खींवाराम पुत्र लालूराम 1/4, सुवादेवी पत्नी खींवाराम 1/4, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1386 1387	0.0100 0.0500	गै0मु0 बेरा गै0मु0सारण	
	योगः–	05	7.1200		

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन हाजा न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

(आ०20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादीया:–

इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल, जाति देवासी, निवासी देवासियों का बास, चंडावल नगर, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1 खींवाराम पुत्र लालूराम, जाति देवासी, निवासी चंडावल नगर, तहसील सोजत, जिला पाली।

2 सुवादेवी पत्नी खींवाराम, जाति देवासी, निवासी चंडावल नगर, तहसील सोजत, जिला पाली।

3 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92 (ए) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 63/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादीया श्री सुरेन्द्र वैष्णव एवं अधिवक्तागण प्रतिवादीगण श्री गजेन्द्र दवे, श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित, श्री भगवती प्रसाद चौहान पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा चंडावल पटवार हल्का चंडावल, भू.अ.नि. चंडावल, तह0 सोजत में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की पुराना खाता संख्या 40, नया खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 1386 रकबा 0.0100 हैक्टर, किस्म गै. मु. बेरा, खसरा संख्या 1387 रकबा 0.0500 है., किस्म गै.मु. सारण, खसरा संख्या 1388 रकबा 7.0600 है., किस्म जा. सो., कुल खसरा 03, कुल रकबा 7.0600 है., की कृषि भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1388	3.5104	जा. सो. बंजड	
2	खींवाराम पुत्र लालूराम 1/2, सुवादेवी पत्नी खींवाराम 1/2, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1388/1	3.5104	जा. सो. बंजड	
3	इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल 1/2, जाति देवासी, खींवाराम पुत्र लालूराम 1/4, सुवादेवी पत्नी खींवाराम 1/4, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1388/2	0.0392	रास्ता प्रयोजनार्थ	
4	इन्द्रादेवी पत्नी गोरधनलाल 1/2, खींवाराम पुत्र लालूराम 1/4, सुवादेवी पत्नी खींवाराम 1/4, जाति देवासी, सा. देह खातेदार	1386 1387	0.0100 0.0500	गै0मु0 बेरा गै0मु0सारण	
	योग:–	05	0.1200		

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन हाजा न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –

मुबलिग –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बाबत –

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.10.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			